रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 31 जनवरी, 1989/11 माघ, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

"ख" अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 सितम्बर, 1988

संख्या जी०ए०डी० (ए) 3-1/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एन्यूमरशन आफ डवैलिंग्ज ऐक्ट, 1976 (1976 का 41) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते

हैं, अर्थात्:—

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "हिमाचल प्रदेश निवास-गृह परिगणना नियम, 1988" है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो ; —

(क) "अधिनियम" से "हिमाचल प्रदेश एन्यूमरेशन आफ डवैलिंग्ज ऐक्ट, 1976" अभिप्रेत है ;
(ख) "परिगणना आयुक्त" से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त परिगणना आयुक्त अभिप्रेत है ;
(ग) "परिगणक" से स्थानीय क्षेत्रों में निवास-गृहों की परिगणना के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या ऐसे प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार ऐसी नियुक्तियां करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करे, द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(घ) "साधारण क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो हिम-बांधित (अतुल्य कालिक) न हो;
(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
(च) "ग्रामीण क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो नगरीय क्षेत्र नहीं है ;
(छ) "हिम-बांधित (अतुल्य कालिक) क्षेत्र में किन्नौर, लाहौल-स्पिति जिले, चम्बा जिले की पांगी और भरमौर तहसीलें; और शिमला जिले की चौपाल तहसील समाविष्ट हैं, अभिप्रेत है और इनमें ऐसे दूसरे क्षेत्र/क्षेत्रों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर हिम-बाधित क्षेत्र/क्षेत्रों (जो एक कालिक न हों) घोषित किया गया हो, सम्मिलित होंगे ;
(ज) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रत है ;
(झ) "नगरीय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र जोकि नगर निगम, नगरपालिका समिति, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रशासित हो या ऐसा कोई दूसरा क्षेत्र जिसे कि राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया हो, अभिप्रेत है; और
(ञ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय-II

गणना अधिकारियों और गणनाकारों की नियुक्ति

3. **गणना अधिकारी और गणनाकार.**—(1) प्रत्येक जिले का उपायुक्त, जिले में, नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, निवासों की गणना इकाइयों के मुख्य गणना अधिकारी होंगे।

(2) जिले के उप-खण्ड में नगरीय निवास गणना इकाइयों के लिए उप-खण्ड अधिकारी (सिविल) गणना अधिकारी होगा।

(3) तहसीलदार/नायब-तहसीलदार यथास्थिति तहसील या उप-तहसील में ग्रामीण निवास गणना इकाइयों का गणना अधिकारी होगा।

(4) ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी, अपने पटवार सर्कल में, निवास गणना इकाइयों का गणनाकार होगा और सम्बन्धित क्षेत्र के गणना अधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन गणना का संचालन करेगा।

(5) नगरीय क्षेत्रों में उप-खण्ड अधिकारी (सिविल), राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले सामान्य अनुदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक नगरपालिका वार्ड या स्थानीय निकायों के लिए, राज्य सरकार के उन कर्मचारियों में से, जोकि उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जहां कि निवासगृहों की गणना का संचालन होना है, गणनाकारों की नियुक्ति करेगा। उप-खण्ड अधिकारी द्वारा, ऐसी लिखित रूप में और हस्ताक्षरित उद्घोषणा कि किसी निवास गणना इकाई में किसी व्यक्ति की गणनाकार के रूप में सम्यक् नियुक्ति की गई है, ऐसी नियुक्ति का निश्चायक सबूत होगी।

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त गणना-कार्मिक, राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति समय-समय पर अवधारित, ऐसी दरों पर पारिश्रमिक और भत्ते प्राप्त करेगा।

4. **गणना-कार्मिक का प्रशिक्षण.**—(1) गणना अधिकारियों और गणनाकारों की नियुक्ति के पश्चात् गणना आयुक्त, हिम-बाधित और हिम-बाधित (एक कालिक न हो) क्षेत्रों के गणना-कार्मिक, जिनमें ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित ह, जिनकी "आरक्षित" के रूप म नियुक्ति हुई हो, ऐसे गणना-कार्मिक को तीव्र (गहन) व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा, ताकि यदि गणना कार्य में कोई आकस्मिकता पैदा हो, तो वे गणना कर्तव्यों को स्वयं ही और दक्षतापूर्वक निभा सकें।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक सारा गणना संगठन, गणना की विभिन्न अवधारणाओं से भली-भांति परिचित हो और गणना कार्रवाई के दौरान अनपढ़ और अनभिज्ञ नागरिकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुस्पष्ट और ठीक उत्तर देने योग्य हैं।

अध्याय-III
गणना कार्यक्रम

5. **गणना कार्यक्रम.**—(1) राज्य सरकार, इसके द्वारा तैयार किए गए गणना कलेण्डर के अनुसार प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात् अपने आप को आधारभूत आंकड़ों से सज्जित करने के लिए व प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए, राज्य में निवासगृहों का संचालन करेगी।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार सामान्य और हिम-बाधित क्षेत्रों के लिए विभिन्न गणना कलेण्डरों को तैयार करवा सकेगी।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के उद्देश्यों के लिए "वर्ष" अभिव्यक्ति से कलेण्डर वर्ष अभिप्रेत है।

6. **गणना की इकाइयां.**—निवासगृहों की गणना के प्रयोजनों के लिए, निवासगृहों की गणना की छोटी से छोटी इकाई निम्नलिखित होगी :—

(I) ग्रामीण क्षेत्रों में :

(क) राजस्व गांव	ऊना, चम्बा, मण्डी, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर और किनौर जिलों में,
(ख) "टिक्का" जिस में सुस्पष्ट उप-हदबस्त संख्यांक हो ।	कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में,
(ग) "फाट्टी" जिसमें सुस्पष्ट उप-हदबस्त संख्यांक हो	कुल्लू जिला में,
(घ) गांव का पुरवा या/उप-ग्राम जिसमें सुस्पष्ट हदबस्त संख्यांक हो ।	लाहौल और स्पिति जिलों में, और

(II) नगरीय क्षेत्र :

(क) नगर	जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक न हो ;
(ख) नगर का उप-खण्ड (जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर-दक्षिण) ।	जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक हो ।

7. **स्थान निर्धारण सांकेतिक संख्या.**—(1) राज्य में सब जिले, उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर निरन्तरता-क्रम में क्रमांकित किए जाएंगे और विशिष्ट जिले के लिए आवंटित संख्या दोनों ग्रामीण तथा शहरी निवास-गृह परिगणना इकाइयों के लिए लागू होंगी।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान निर्धारण के लिए, संकेत पद्धति से तिरछी रेखाओं द्वारा पृथक चार घटक होंगे।

पहला घटक जिला संख्या, दूसरा घटक तहसील/उप-तहसील संख्या, तीसार घटक ग्राम संख्या को निरूपित करेगा और चौथे घटक में गणनाकार के खण्ड की संख्या कोष्ठकों के भीतर अभिलिखित की जाएगी ।

दृष्टांत.—"2/3/56(15)" यहां अंक "2" जिला संख्या निरूपित करता है, अंक "3" तहसील/उप-तहसील संख्या के लिए, अंक "56" ग्राम संख्या के लिए और "15" गणनाकार के खण्ड की संख्या के लिए है ।

(3) नगरीय क्षेत्रों में भी स्थान निर्धारण के लिए, संकेत पद्धति से तिरछी रेखाओं द्वारा पृथक चार घटक होंगे । पहला घटक जिला संख्या, दूसरा घटक जोकि रोमन अंक में दर्शाया गया है, नगर/उप-नगर संख्या, तीसरा घटक हल्का संख्या और चौथा घटक जोकि कोष्ठकों में दिखाया गया है, गणनाकार खण्ड संख्या को निरूपित करेगा ।

दृष्टांत.—"2/III(ई)/3(5)" यहां "2" अंक जिला संख्या, "III" अंक नगर के लिए और रोमन अंकों के पश्चात् कोष्ठकों में "(ई)" अक्षर नगर के उप-खण्ड को निरूपित करता है और "5" अंक गणनाकार के खण्ड की संख्या के लिए है ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए गणनाकार के खण्ड की संख्या "शब्दों" से उप-खण्ड की ऐसी "निवास गणना इकाई" अभिप्रेत है, जहां ऐसी इकाई में दो सौ से ज्यादा घर समाविष्ट हों ।

अध्याय-IV
गांव और नगर रजिस्टर

8. **गांव रजिस्टरों का तैयार किया जाना**—गणना अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त राजस्व गांवों की तालिका बनाने के लिए, ताकि उन में से कोई गणना संक्रिया में से छूट न जाए, प्ररूप "अ" में गांव का रजिस्टर दो प्रतियों में तैयार करेगा ।

9. **नगर रजिस्टरों का तैयार किया जाना.**—गणना अधिकारी, गणनाकार के खण्डों के सही अंकन के लिए और सम्बन्धित नगर क्षेत्र के वार्डों/मुहल्लों की सूचियां तैयार करने के लिए, ताकि नगर का हर भाग गणना के उद्देश्यों के लिए ठीक ढंग से उप-विभाजित किया जा सके और इसका कोई भाग गणना की संक्रिया से छूट न जाए, प्रारूप "ब" में नगर रजिस्टरों को दो प्रतियों में तैयार करेगा ।

अध्याय—V
गृह सूचियां

10. **गृह सूचियों का तैयार किया जाना.**—प्रत्येक गणनाकार, प्रत्येक गांव और नगर में सब निवासगृहों की सची बनाने के लिए क्रमश: प्ररूप "इ" और "ई" में अपने खण्ड की गृह सूची/संस्था सूची को दो प्रतियों में तयार करेगा और निम्नलिखित विषय सूचना देगा :—

(क) जिस उद्देश्य के लिए निवास-गृहों का प्रयोग किया जा रहा है ;
(ख) प्रत्येक निवास-गृह में दीवारों और छत्तों पर प्रयोग की गई सामग्री ;
(ग) क्या गृह स्वामी और सदस्य अपने घर में या किराए के मकान में रहते हैं ;
(घ) आवासीय कमरों की संख्या ;
(ङ) गृह स्वामी का नाम ;
(च) प्रत्येक परिवार म रहन वाले सदस्यों की संख्या ;
(छ) निवास-गृह की अनुमानित आयु ;
(ज) क्या निवास-गृह की अवस्था अच्छी है या जीर्ण-शीर्ण ;
(झ) क्या गृह स्वामी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता है; और
(ञ) "संस्थागत धरबार" की दशा में, व्यापार, विनिर्माण और दूसरी संस्था का विवरण जहां लोग काम या व्यापारिक सेवाएं करते हैं ।

स्पष्टीकरण.—(1) "गृहस्थी" अभिव्यक्ति से व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आम तौर पर इक्टठे रहते हों और जब तक कि किसी जरूरी कार्य से उनमें से कोई निवारित हुआ हो, एक ही रसोई से भोजन करत हों, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण.—(2) संस्थागत परिवार अभिव्यक्ति से बोर्डिंग हाउसेज, होटेल्ज, आवासीय होटेल्ज, अनाथाश्रम, बचाव-गृह, आश्रम, अस्पताल या औषधालय आदि अभिप्रेत हैं और इसमें ऐसा स्थान जहां माल का उत्पादन या विनिर्माण कवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं किया जाता, या जहां मुरम्मत और सफाई, धुलाई का काम किया जाता है, जैसे कि कारखाना, कर्मशाला या पारिवारिक उद्योग, उद्योग या सफाई, धुलाई और/या मुरम्मत कर्मशाला या ऐसा स्थान जहां परचन या थोक व्यापार किया जाता है या वाणिज्यिक सवायें प्रदान की जाती हैं, या कार्यालय सार्वजनिक या असार्वजनिक या मनोरंजन का स्थान या जहां धार्मिक, सामाजिक शिक्षा या मनोरंजन सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ऐसे स्थान भी इसमें सम्मिचित हैं।

अध्याय-VI गृह अंकन

11. **निवासगृहों के अंकन के सिद्धांत**.—गणनाकार प्रत्येक निवासगृह को निम्नलिखित रूप में संख्यांकित करेगा:—

(क) जहां कोई भवन अपने आप में एक मात्र निवासगृह है, उसे संख्या "एक" दी जायेगी,

(ख) जहां एक भवन के संघटक इकाइयों के विभिन्न भागों में हो, तो उन्हें पृथक निवासगृहों के रूप में माना जायेगा, ऐसे प्रत्येक निवास-गृह को भवन संख्या के बाद कोष्ठकों में उप-संख्या दी जायेगी, उदाहरणतया 10(1), 10(2) आदि,

(ग) जहां एक भवन के बहुत से फलैट हों या खण्ड एक दूसरे मे स्वतन्त्र हों और सड़क से एक ही सांझी सीढ़ी द्वारा या सांझे अहाते से मुख्य प्रदेश द्वार तक जाने के लिए, पृथक प्रवेश हो, तो वे पृथक और स्वतन्त्र आवास-गृह माने जायेंगे और उनमें से प्रत्येक को अलग संख्या दी जायेगी,

(घ) जहां एक से अधिक ढांचा/भवन खुले या परिबद्ध अहाते (परिसर) में हों और एक ही व्यक्ति से सम्बन्धित हो, उदाहरणतया-मुख्य घर, नौकरों के कवार्टर, गैरेज इत्यादि, ऐसे वर्गीकरण के लिए एक ही भवन संख्या दी जायेगी, और ऐसे पृथक ढांचे के प्रत्येक घटक को उप-संख्या से निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसे 1/1, 1/2, 1/3, आदि-आदि,

(ङ) जहां सारा ढांचा, सभी इकाइयों के साथ सटा हुआ हो और एक भवन प्रतीत होता हो, या विभिन्न भवनों/ढांचों की ऋंखला यदि गली के साथ-साथ एक दूसरे से संयुक्त दीवारों से इस प्रकार जुड़ी हों कि वह अविछिन्न ढांचा/भवन दिखाई दे रहा हो और ये पृथक इकाइयां व्यवहारिक रूप में एक दूसरे से स्वतन्त्र हों, और संभाव्य रूप से अलग-अलग समय पर, अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा बनाया गया हो ऐसा प्रत्येक भाग पृथक माना जायेगा और इसे पृथक रूप से संख्यांकित किया जायेगा,

(च) जहां कोई भवन निर्माणाधीन हो और जिसका निर्माण एक वर्ष की अवधि में पूरा होने की सम्भावना हो, वह भी क्रमिक रूप से संख्यांकित होगा।

12. **निवास-गृहों की गणना का ढंग**.—(1) अनुक्रम, जिसमें किसी भवन में निवास-गृहों को संख्यांकित किया जा सकगा, अविछित किया जा सकेगा, अविछिन्न, अधिमानता दक्षिणवर्त्त या/और यदि दक्षिण वर्त्त करन में कठिनाई हो, तो अन्य किसी भी सुविधा-जनक ढंग से किया जा सकता है।

(2) यदि गांव में परिक्षेत्र बहुत सी गलियों का बना हो, तो गांव में भवनों को अविछिन्न रूप में संख्यांकित किया जायेगा, और गलियां उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम तक समान क्रम में ली जायेगी :

परन्तु भवनों का संख्यांकन एक गली के छोर से निरन्तर क्रम में अविछिन्न रूप में शुरू होगा और गली के दूसरे छोर से पार जाने से पहले उस छोर क संख्यांकन को पूर्ण किया जायेगा और क्रम संख्या को अविराम रखते हुए, जहां से पहला नम्बर शुरू हुआ हो, अन्तिम रूप से समाप्त होगा।

(3) नगर/कस्बों के गणना खण्डों में संख्यांकन गली के अक्षों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा और किसी पूर्व-कल्पित भौगोलिक दिशा, जैसे उत्तर-पूर्व आदि को ध्यान में रखकर नहीं किया जायेगा।

13. खुले और खाली स्थल संख्यांकित नहीं होंगे.—खुले और खाली स्थल, चाहे वे अहाते की दीवारों से परिबद्ध हों, गणना के प्रयोजनों के लिए दर्ज नहीं किए जायेंगे परन्तु जहां कोई ढांचा चार दीवारों और छत का हो, वहां यह निवास-गृह के रूप में दर्ज होगा।

अध्याय अभिलेख भेजना और सूचनाएं तैयार करना :—

14. अभिलेखों और सूचनाओं को भेजना.—(1) जैसे ही गृह तालिका और गृह संख्यांकन पूर्ण हो जाए, गणनाकार हस्तांतरित करेगा, और अपने अधीन गणनाकारों द्वारा एकत्रित विवरणों/सूचनाओं को संकलित करने के बाद अभिलेख को मुख्य निवास गृह गणना अधिकारी को भेजेगा।

(2) मुख्य निवास गृह गणना अधिकारी, जिले में गणना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण/सूचनाओं को संकलित करन क बाद, अभिलेख गणना आयुक्त को भेजेगा।

(3) राज्य में प्रत्येक गणना संक्रिया की समाप्ति पर, गणना आयुक्त एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य में प्रशासनिक संगठन द्वारा शासकीय प्रयोग और अभिलख के प्रयोजन के लिए इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवायेगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

प्रारूप "अ"

(नियम 8 देखिए)

गांव के निवास गृहों का गणना रजिस्टर (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)

जिले का नाम .....
स्थान संहिता संख्या .....
तहसील/उप-तहसील का नाम .....
गांव का नाम .....
स्थान संहिता संख्या .....

गणनाकार के खण्ड की क्रम संख्या	हदबस्त संख्या/.../खण्ड में सम्मिलित गांवों/उपग्रामों के नाम (यदि कोई हो)	गांव/पुरवों की संहिता/उप-संहित संख्या	अन्तिम गणना में तैयार की गई गृह सूची के अनुसार खण्ड निवास गृहों की संख्या तक (यदि कोई हो)	
1	2	3	4	5

अन्तिम गणना में तैयार की गई गृह सूची के अनुसार गृहस्थियों की संख्या (यदि कोई हो)	गणनाकार का नाम, पद नाम और पता	टिप्पणियां
6	7	8

टिप्पण:—1. अभिव्यक्ति "गृहस्थी" से व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आम तौर पर इकट्ठे रहते हों और जब तक किसी जरूरी कारण से उनमें से कोई निवारित न हुआ हो, एक ही रसोई से भोजन करते हों, अभिप्रेत है ।

2. अभिव्यक्ति "सास्थानिक परिवार" से बोर्डिंग हाउसिज, होस्टल्ज, आवासीय होस्टल्ज, अनाथाश्रम, व बावगृह, आश्रम, अस्पताल तथा औषधालय आदि अभिप्रेत है और इस में ऐसे स्थान जहां माल का उत्पादन या विनिर्माण, केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं किया जाता या मुरम्मत और सफाई-धुलाई का काम किया जाता है ।

प्ररूप ब

(नियम 9 देखिये)

शहर के निवास गृहों का गणना रजिस्टर (नगरीय क्षेत्रों के लिए)

ज़िले का नाम . . . .

स्थान संहिता संख्या . . . .

तहसील/उप-तहसील का नाम . . . .

शहर का नाम . . . .

स्थान संहिता संख्या . . . .

गणनाकार के खण्ड की संख्या	मुहल्ला/हल्का का नाम/संख्या (या उसका कोई भाग) जो खण्ड में सम्मिलित हो	अन्तिम गणना में तैयार की गई गृह सूची के अनुसार खण्ड में निवास गृहों की संख्या (यदि कोई हो) से	तक	अन्तिम गणना में तैयार की गई गृह सूची के अनुसार संस्थित गृहस्थियों की संख्या (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5

गणनाका रका नाम पद नाम और पता	टिप्पणियां
6	7

टिप्पण.—(1) अभिव्यक्ति "गृहस्थी" से व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आम तौर पर इक्टठे रहते हों और जब तक किसी जरूरी कारण से उनमें से कोई निवारित न हुआ हो, एक ही रसोई से भोजन करते हों, अभिप्रेत है ।

(2) अभिव्यक्ति "संस्थानिक परिवार" से बोर्डिंग, हाऊसिज, होस्टलज, आवासी होटल्ज, अनाथाश्रम, बचाव गृह, आश्रम आदि-आदि अभिप्रेत है ।

प्ररूप "ई" गृह सूची

(नियम 10 देखिये)

गांव व शहर का नाम . . . . . सहित संख्या . . . .

मुहल्ला/हलका/गणनाकार के खण्ड का नाम सं0 . . . . संहिता संख्या . . . .

जिले का नाम . . . . . संहिता संख्या . . . . . .

तहसील/उप-तहसील का नाम . . . . . संहिता . . . . . .

क्रम संख्या	स्थानीय प्राधिकारियों या नगर पालिका द्वारा दी गई हो, भवन सं0	गणनाकर द्वारा समुनदेशित भवन निवास गृह सं0	प्रमुख निर्माण म भवन निवास गृह की सामग्री		किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया उदाहरणतया आवास/ दुकान/फैक्ट्री आदि
			दिवार की सामग्री	छत की सामग्री	
1	2	3	4	5	6

क्या वह पूर्णतः या भागतः स्थापन के रूप उपयोग किया जाता है ? यदि हो तो स्थापन सूची में आगे की विवरणियां लिखें। (प्ररूप "ई" में) और क्रम संख्या की प्रविष्टियां यहां निर्दिष्ट करें	क्या भवन/निवास गृह । (क) सरकारी/अर्ध सरकारी, (ख) निजी (ग) सहकारी संस्थान हैं ?	भवन/उपग्राम की अनुमानित आयु	भवन/उपग्राम को स्थिति	घरबार निवास गृह की संख्या	घरबार/निवास-गृह के नाम
7	8	9	10	11	12

यदि पूर्णतः और भागतः आवासीय के रूप में उपयोग की जाती है।

यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है तो जाति/जनजाति का नाम लिखें	घरबार/निवास-गृह के अधिभाग में रहने के कमरों की संख्या	क्या घरबार अपने निवास गृह में रहता है/या किराये के मकान में	गणनाकार के निरीक्षण पर आने की तिथि को घरबार/निवास गृह में सामान्य रहने वाले व्यक्तियों की संख्या			टिप्पणी
			पुरुष	स्त्रियां	कुल संख्या	
13	14	15	16	17	18	19

कुल संख्या . . . .

गणनाकार के हस्ताक्षर।

गणना अधिकारी के हस्ताक्षर/–
तारीख . . . . . .

प्ररूप "ई" स्थापना सूची
(नियम 10 देखिये)

जिले का नाम . . . . . संहिता संख्या . . . . .

तहसील/उप-तहसील का नाम . . . . . संहिता संख्या . . . . .

क्रम सं0	गृह सूची में क्रम सं0 प्ररूप (इ)	गणनाकार द्वारा समुनदेशित भवन निवास गृह की संख्या	स्थापना का स्वामी का नाम	क्या स्थापना (क) सरकारी/-अध सरकारी (ख) निजी (ग) सहकारी से स्थापना है ?	पहिले सप्ताह दनक कार्य करने वाले व्यक्तियों या अन्तिम कार्य सत्र में कार्य करते या परिवारकि व्यक्ति भी सम्मिलित हैं की औसत संख्या
1	2	3	4	5	6

यदि उत्पादन, संसाधान या सफाई धुलाई की जाती है

क्या वह–घरलू (क) उद्योग (ख) पंजीकृत कारखाना (ग) अपजीकृत कार्य शाला है	किए गए उत्पादन साधन या सफाई-धुलाई का वर्णन	उपयोग किए गए ईधन या विद्युत का प्रकार
7	8	9

गांव या नगर का नाम . . . . . की संहिता संख्या. . . . . .

वार्ड/मुहल्ला का नाम व संख्या/गणनाकर संहिता संख्या . . . . . .

खण्ड संख्या . . . . . .

यदि व्यावसायिक/व्यापारिक स्थापन है		यदि किसी दूसर स्थापन के लिए प्रयोग हुआ हो। (उदाहरणतया– सरकारी कार्यालय, स्कूल अस्पताल, रेलवे स्टशन, नाई की दुकान सिनेमा थियेटर, होटल, चाय की दुकान का वर्णन
क्या — (क) थोक या (ख) परचून	व्यापार की वस्तुओं का वर्णन	
10	11	12

. . . . . .

गणनाकार के हस्ताक्षर

गणना अधिकारी क हस्ताक्षर

दिनांक

तारीख . . . . . .

[*Authoritative English text of the Government notification No. GAB(A) 3-1/85, dated 20-9-88 is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

[GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th September, 1988

No. GAB (A)3-1/85.—In exercise of the powers conferred under section 12 of the Himachal Pradesh Enumeration of Dwellings Act, 1976 (Act No. 41 of 1976) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely.—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1 **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Enumeration of Dwellings Rules, 1988.

(2) These rules shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Enumeration of Dwellings Act, 1976 (Act No. 41 of 1976).—

(*b*) "Enumeration Commissioner" means Enumeration Commissioner appointed under sub-section (1) of section 3 of the Act by the State Government;

(*c*) "Enumerator" means a person appointed to make enumeration of dwelling houses in local areas by the State Government or by such authority to whom the State Government may delegate powers to make such appointments;

(*d*) "Form" means a form appended to these rules;

(*e*) "General area" means the area which is not snowbound (Non-Synchronous);

(*f*) "rural area" means the area which is not an urban area;

(*g*) "Snowbound (Non-Synchronous) area" means the area comprising Kinnaur and Lahaul-Spiti districts; Pangi and Bharmour tehsils in Chamba district; and Chopal tehsil of Shimla district and shall include such other area/areas as may be declared as snowbound (Non-Synchronous) area/areas for the purposes of these rules by the State Government, from time to time;

(*h*) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(*i*) "urban area" means an area administered by a Municipal Corporation, a Municipal Committee, a Cantonment Board or a Notified Area Committee, or any other area declared by the State Government by notification, to be an urban area for the purposes of these rules; and

(*j*) all other words and expressions used herein, but not defined in these rules, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

CHAPTER II

APPOINTMENT OF ENUMERATION OFFICERS AND ENUMERATORS

3. **Enumeration Officers and Enumerators.**—( ) The Deputy Commissioner of each District shall be the Principal Dwellings Enumeration Officer, both for Rural and Urban Dwelling Enumeration Units in the district.

(2) The Sub-Divisional Officer (Civil) shall be the Dwellings Enumeration Officer for Urban Dwelling Enumeration Units in the Sub-Division of the district.

(3) The Tehsildar/Naib-Tehsildar shall be the Enumeration Officer for Rural Dwelling Enumeration Units in the Tehsil or the Sub-Tehsil, as the case may be.

(4) The Patwari shall be the Enumerator in the Dewelling Enumeration Units in the rural areas within his Patwar Circle and shall conduct enumeration under the supervision and control of the Enumeration Officer of the area concerned.

(5) In urban areas, the Sub-Divisional Officer (Civil) shall, subject to the general instructions given by the State Government from time to time, appoint Enumerators for each Municipal Ward, out of the employees of the State Government or of the local bodies, who are working in the area where enumeration of dwellings is to be conducted. A declaration in writing, signed by the Sub-Divisional Officer (Civil) that any person has been duly appointed as an Enumerator for any Dewelling Enumeration Unit shall be conclusive proof of such appointment.

(6) The enumeration personnel appointed under this rule shall get remuneration and allowances at such rates as may be determined by the State Government from time to time.

4. **Training to enumeration personnel.**—(1) After the appointment of the Enumeration Officers and Enumerators, the Enumeration Commissioner shall chalk out comprehensive training programme both for synchronous and non-synchronous areas to impart intensive practical training to the enumeration personnel including such staff to be appointed as reserve, so that if any contingency arises they can handle enumeration duties independently and efficiently.

(2) While chalking out the training programme under sub-rule (1), every effort shall be made to ensure that the entire enumeration machinery from top to bottom is thoroughly conversant with the various enumeration concepts and is capable of eliciting definite and correct answers to the questions in the enumeration operations even from the illiterate and ignorant citizens.

CHAPTER III

ENUMERATION PROGRAMME

5. **Enumeration programme.**—(1) The State Government, in order to equip itself with the basic date for administrative purposes, shall conduct enumeration of dwellings in the State at the close of every ten years in accordance with Enumeration Calendar to be prepared by it.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the State Government may prepare different Enumeration Calendars for general and snow-bound areas.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "year" means the calendar year.

6. **Enumeration Units.**—For the purposes of enumeration of dwellings, the smallest enumeration dwelling unit shall be—

(*i*) *In Rural area:*

(*a*) revenue village	In Una, Chamba, Mandi, Bilaspur, Shimla, Solan, Sirmaur and Kinnaur districts;
(*b*) "Tikka" having a district sub-hadbast number.	In Kangra and Hamirpur districts;
(*c*) "Phatti" having a distinct sub-hadbast number.	In Kullu district;
(*d*) Village hamlet or village hamlet having distinct hadbast number.	In Lahaul and Spiti district; and

(*ii*) *In Urban areas:*

(*a*) Town	Where population does not exceed 50,000;
(*b*) Sub-Division of a town (such as East, West, North, South).	Where population exceeds 50,000.

7. **Location code numbers.**—(1) All the districts in the State shall be serialised in order of continuity from North-West to South-East and the number thus allocated to a particular District shall be applicable both to rural and urban enumeration dwelling units.

(2) The location code in the rural area shall have four elements separated by oblique strokes. The first element shall represent the District number, the second Tehsil/Sub-Tehsil number, the third the Villlage number and the fourth the Enumeretor's Block number recorded inside brackets.

Illustrations.—"2/3/56(15)"—Here figure "2" represents the District number, figure "3" is for Tehsil/S ıb-Tehsil number, figure "56" for Village number and figure "(15)" for Enumerator's Block number.

(3) In the urban areas the location code shall also have four elements separated by oblique strokes. The first element shall represent the District number, the second shown in Roman the town/sub-town number, third the Ward number and fourth (shown in brackets) the Enumerator's Block number.

Illustrations.—"2/III(E)/3(5)"—Here figure "2" represents District number, figure "III" is for the Town and the letter "E" (within brackets) following the Roman figure, represents Sub-Division of the town, figure "3" is for Ward number and figure "(5)" for Enumerator's Block number.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "Enumerator's block number means a sub-division of the "Enumeration Dwelling Unit", where such a unit comprises more than two hundred houses.

CHAPTER IV

VILLAGE AND TOWN REGISTERS

8. **Preparation of Village Registers.**—To have a complete inventory of all the revenue villages in rural areas, so that none of them is omitted from enumeration operation, the Enumeration Officer shall get prepared in duplicate a village register in Form 'A'.

9. **Preparation of Town registers.**—To have an accurate delineation of Enumerator's block and a complete list of all wards/mohallas in the urban area concerned so that each part of the town is properly sub-divided for enumeration purposes and no part of it is omitted from enumeration operations, the Enumeration Officer shall get the town registers prepared in duplicate in Form "B".

CHAPTER V

HOUSE LISTING

10. **Preparation of house lists.**—To prepare a complete list of all dwellings in every village and town, every enumerator shall prepare house list/establishment list for his block in duplicate in Forms "C" and "D" respectively, detailing the information about :—

(*a*) the purpose for which dwellings are being used;
(*b*) the material used in walls and roofs of each dwellings; whether the members live in their own or rented house;
(*c*) the number of living rooms;
(*d*) the name of the household;
(*e*) the number of members living in each household;
(*f*) the approximate age of the dwelling;
(*g*) the condition of the dwelling, whether good or dilapidated;
(*h*) whether the household belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe community; and
(*i*) in case of "institutional household" details of manufacturing trade and other establishment, where people work or commercial services are rendered.

Explanation.—(1) The expression "household" means a group of persons, who commonly live together and take their meals from a common kitchen, unless the exigencies of work prevent any of them from doing so.

Explanation.—(2) The expression "institutional household" means Boarding-houses hostels, residential hotels, orphanage, rescue homes, ashrams, hospitals or dispensaries etc. and shall include a place where goods are produced or manufactured not solely for domestic consumption or where repairing and/or servicing is done such as factory, workshop or household-industry, indsustry or servicing and/or repair workshop or a place where retail or wholesale business is carried on or commercial services are rendered or an office, public or private, or place of entertainment or where educational religious, social or entertainment services are rendered.

CHAPTER VI

HOUSE NUMBERING

11. **Principles of numbering of dwelling houses.**—Each dwelling house shall be numbered by the Enumerator, as under:—

(*a*) where a building by itself is a single dwelling house, one number shall be given;

(*b*) where different parts, of constituent units of a building qualify for being treated as separate dwelling houses, each dwelling house shall be given a sub-number within brackets to the building number *e.g.* 10(1), 10(2) etc.;

(*c*) where a building has a number of flats or blocks which are independent of one another, having separate entrances of their own from a road or a common staircase, or a common court yard leading to a main gate, those shall be deemed to be separate and independent dwelling houses, and each of them shall be given a separate number;

(*d*) where there are more than one structure/building within an enclosed or open compound (premises) belonging to the same person *e.g.* the main house the servants, quarters, the garrage etc., only one building number shall be given for this group and each of constituent saparate structure shall be assigned with sub-number like 1/1, 1/2, 1/3 and so on;

(*e*) where the entire structure with all the adjoining units appears to be one building or series of different buildings/structures are found along a street which are joined to one another by common walls on either side looking like a continuous structure/building, and these different units are practically independent of one another and likely to have been built at different times and owned by different persons, each portion shall be treated as a separate dwelling and given separate number;

(*f*) where a building is under construction and is likely to be completed within a year's time shall also be given a number in the serial.

12. **Manner of emmuration of dwelling houses.**—(1) The order in which dwelling houses within a building are to be numbered may be continuous, preferably clock-wise, or in any convenient manner if it is difficult to render it clock-wise:

(2) If the locality consists of a number of streets in a village, the buildings in the various streets in a village shall be numbered continuously and streets shall be taken in a uniform order from North-East to South-West:

Provided that the numbering of the buildings shall be continued with one consecutive serial on the one side of the street and complete the numbering on that side before crossing over to end of the other side of the street and continuing with the serial numbering stopping finally where the first number commenced.

(3) In the town/city enumeration block, the numbering shall have to respect the axis of the street and not any pre-conceived geographical direction like North-East etc.

13. **Open or vacant sites are not to be enumerated.**—Vacant and open sites, even if they are enclosed by compound walls, shall not be listed for enumeration purposes, but where a structure with four walls and a roof has come up it shall be treated as a dwelling house and be listed.

CHAPTER VII

SUBMISSION OF RECORDS AND PREPARATION OF REPORTS

14. **Submission of records and reports.**—(1) As soon as the House-listing and House numbering is completed, the enumerator shall hand over the entire record to the concerned Enumeration Officer, who shall check all the details thoroughly and after compiling the details/information collected by the Enumerators under him, shall submit the record to the Principal Dwelling Enumeration Officer.

(2) The Principal Dwelling Enumeration Officer shall, after compiling the details/information furnished by the Enumeration Officers in the District, submit the record to the Enumeration Commissioner.

(3) At the close of every enumeration operation in the State, the Enumeration Commissioner shall prepare a detailed report and got the same printed in a booklet form, for the purpose of record and official use by the administrative machinery in the State.

By order,
Sd/-
Secretary.

FORM A

(*See* rule 8)

VILLAGE DWELLING ENUMERATION REGISTER (FOR RURAL AREAS)

Name of District.....

Location Code No.....

Name of Tehsil/Sub-Tehsil.....

Name of Village .....

Location Code No.....

Sl. No. of Enumerator's Block	Name of Village (s)/Hamlets((if any)/ No. of Hadbast (if any) included in the Block	Code/Sub-code No. of Villages/ Hamlets	No. of Dwellings in the Block as per Houselist prepared in the last Enumeration (if any)	
			From	To
1	2	3	4	5

No. of House-holds/institution of house-holds, as per houselist prepared in the Last Enumeration (if) any)	Name, designation and address of the Enumerator	Remarks
6	7	8

Note.—The expression "House-hold" means a group of persons who commonly live together and would take their meals from a common kitchen, unless the exigencies of work prevented any of them from doing so.

2. The expression institutional Household means boarding-houses, hostels, residential orphanages, rescue homes, ashrams, hospitals or dispensaries etc., and shall include a place where goods are produced or manufactured not solely from domestic consumption or where repairing and/or servicing is done.

FORM B

(*See* rule 9)

TOWN DWELLING ENUMERATION REGISTER (FOR URBAN AREAS)

Name of District.....

Location Code No.....

Name of Tehsil/Sub-Tehsil.....

Name of Town.....

Location Code No.....

Sl. No. of Enumerators Block	Name/No. of Ward/Mohalla (or part thereof) included in the Block	No. of Dwellings in the Block as per House list prepared in the last Enumeration (if any)	
		From	To
1	2	3	4

No. of Households/Institutional Household as per Houselist prepared in the last Enumeration (if any)	Name, designation and address of the Enumerator	Remarks
5	6	7

Note. 1.—The expression "House-hold" means a group of persons who commonly live together and would take their meals from a common kitchen, unless the exigencies of work prevented any of them from doing so.

2. The expression a institutional Household' means Boarding-houses, Hostels, Residential hotels, Orphanages' rescue homes, Ashrams, etc.

FORM "C"

HOUSE LIST

(*See rule* 10)

Name of Village or Town.....Code No.....
Name or number of Ward/Mohalla/Enumerator's Block.....Code No.....
Name of District.....Code No.....
Name of Tehsil/Sub-Tehsil.....Code No.....

Sl. No.	Building No. if given by Municipal or local authority	No. of Building/ dwelling assigned by the Enumerator	Predominant construction of building/dwelling		Purpose for which used e.g., residence/shop, factory, etc.	Is it used as wholly or partly as an establishment? If yes, enter further details in establishment list (in form D) and (indicate the serial No. of the entry here	Is the building/ Dwelling of (*a*) Govt./Quasi Govt. (*b*) Private. (*c*) Co-operative institution	Approximate age of building/house
			Material of wall	Material of roof				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

If used wholly or partially as a residence.

Condition of building/House	Household Dwelling No.	Name of the Head of Household/ Dwelling	If S.C. or S.T. write name of caste/tribe	Name of living rooms in the co-opration of household/ dwelling	Does the household/ live in owned or rented house	No. of persons normally residing in household dwelling on the date of visit of the enumerator			Remarks
						Males	Females	Total	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Signature of the Enumerator Date..... Total

Signature of Enumeration Officer
.....
Dated .....

ESTABLISHMENT LIST

(*See* rule 10)

District.....Code No..... Name of Village or Town.....Code No.....

Name or No. of Ward/Mohalla Code No.....

TEHSIL/SUB-TEHSIL.....Code No..... Enumerator's Block No.....

Sl.No.	Serial No. in House list (Form C)	No. of Building/ Dwelling assigned by the Enumerator	Name of the Establishment or of the proprietor	Is the establishment of (*a*) Govt./Quasi Govt. (*b*) Private (*c*) Co-operative institution.	Average number of persons working daily last week or in the last working season including proprietors and/or family workers
1	2	3	4	5	6

If any manufacturing, processing or servicing is done			If used as trading/commercial establishment		If used as any other establishment, (describe e.g., Govt. Office School, Hospital, Rly. Station, Barber Saloon, Cinema theatre, Hotel, Tea shop, etc.,
Is it— (*a*) Household industry. (*b*) Registered factory. (*c*) Un-registered workshop	Description of products processing or servicing done	Type of fuel or power used	Whether (*a*) wholesale or (*b*) Retail	Description of commodities dealt with	
7	8	9	10	11	12

Signature of Enumerator.....Date..... Signature of Enumeration officer.....date.....

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।